रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएएमपी/35/2010–सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए मौजूदा प्रशुल्क की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/35/2010–सीडब्ल्यूसी

केंद्रीय भंडारण निगम ——— आवेदक

कोरम:

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. सीडब्ल्यूसी का मौजूदा दरमान (एसओआर) पिछली बार इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/35/2010–सीडब्ल्यूसी दिनांक 06 जनवरी, 2012 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे 01 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 तक निर्धारित करता है।

3.1. सीडब्ल्यूसी ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 और 12 फरवरी, 2014 द्वारा निवेदन किया है कि कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) और एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एबीजीकेसीटीएल) के बीच विवाद की वजह से कोई कंटेनर प्रचालन नहीं हैं और कोई कंटेनर यातायात नहीं है, प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं होगा। उसके मद्देनजर, सीडब्ल्यूसी ने अपना प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2014 तक समय का अनुरोध किया गया था। सीडब्ल्यूसी ने मौजूदा प्रशुल्क की वसूली 31 मार्च, 2014 के बाद करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था।

3.2. केपीटी में प्राप्त असाधारण स्थिति के मद्देनजर, इस प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी को उसके अनुरोध पर उसे अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2014 तक का समय दिया गया था जिसे हमारे पत्र दिनांक 11 मार्च, 2014 द्वारा संप्रेषित किया गया था।

4.1. चूंकि मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2014 तक विस्तारित करता है।

4.2. यदि स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष होता है तो, इसके निष्पादन के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

5. जैसाकि पहले सलाह दी गई है, सीडब्ल्यूसी को निदेश दिया जाता है कि 30 जून, 2014 तक निर्धारित समयावधि के भीतर कांडला पत्तन न्यास से यातायात आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद निर्धारित प्रारूप में लागत विवरण के साथ अपना प्रस्ताव दाखिल करे।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/35/2010-CWC.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for the services rendered by the Central Warehousing Corporation at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/35/2010-CWC

The Central Warehousing Corporation - - -Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) for the services rendered by it at the Container Freight Station in the Kandla Port Trust.

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/35/2010-CWC dated 06 January, 2012 which was notified in the Gazette of India on 01 March, 2012. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2014.

3.1. The CWC, vide its letters dated 28 December, 2013 and 12 February, 2014, had submitted, *inter alia*, that due to dispute between the Kandla Port Trust (KPT) and ABG Kandla Container Terminal Limited (ABGKCTL) there is no container operations and without container traffic, filing of tariff revision proposal

would not be justified. In view of that the CWC had requested time till 30 June, 2014 to file its tariff revision proposal. The CWC had also requested to allow levy of the existing tariff beyond 31 March, 2014.

3.2. In view of the extraordinary position obtaining at the KPT, this Authority has granted time till 30 June, 2014 to the CWC to file its proposal as requested by CWC which was communicated to CWC vide our letter dated 11 March, 2014.

4.1. Since the validity of the existing SOR expired on 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the CWC till 30 June, 2014.

4.2. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

5. As advised earlier, the CWC is directed to file its proposal along with cost statement in the prescribed format after ascertaining the traffic figures from the Kandla Port Trust within the time limit prescribed till 30 June, 2014.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[Advt. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.